

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर।

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर,

क्रमांक: FSDC/NDPS General/2024-01537-Part File(50)/713

दिनांक: 03-02-2025

//आदेश//

राज्य में नकली औषधियों के व्यापार को रोकने हेतु सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 11.02.2025 से दिनांक 17.02.2025 तक विशेष अभियान चलाया जाना है जिसके क्रम में सहायक औषधि नियंत्रकों के द्वारा जिले में नकली औषधियों के अवैद्य क्रय-विक्रय, भण्डारण में लिप्त संस्थाओं को चिन्हित कर स्वयं की देख-रेख में औषधि नियंत्रण अधिकारियों से कार्यवाही संपादित की जायेगी।

समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विशेष अभियान में निरीक्षण के दौरान नकली औषधियों के क्रय-विक्रय बिलों की जाँच तथा गुणवत्ता की जाँच हेतु औषधियों के प्रति दिन 02 नमूने लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी सहायक औषधि नियंत्रकों के द्वारा प्रत्येक दिवस की कार्यवाही रिपोर्ट नकली दवा प्रकोष्ठ, आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: FSDC/NDPS General/2023-01537-Part File(50)/2024/713

दिनांक: 03-02-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निजी सहायक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, आयुक्तालय, जयपुर।
3. औषधि नियंत्रक-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
5. नकली दवा प्रकोष्ठ, आयुक्तालय मुख्यालय जयपुर।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य निदेशालय जयपुर को सभी संबंधितों को ईमेल एवं विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Iqbal Khan
Designation: Commissioner
Date: 2025.01.31 22:55:02 IST
Reason: Approved